

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 881] No. 881] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 2018/अग्रहायण 20, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 2018/AGRAHAYANA 20, 1940

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1191(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बहुकार्य कर्मचारिवृंद (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरों में, बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।
 - (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल. उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु—सीमा, और अन्य अर्हताएं, आदि. उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - **4. निरर्हता**. वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शिक्त.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7237 GI/2018 (1)

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	09 * (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल — 01	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच नोट 1—आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दवाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। नोट 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से मर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने को कहा गया हो।

	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		भर्ती की पद्धति – भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनयुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(7)	(8)	(9)	(10)	
अनिवार्य — मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखत होंगे : —	लागू नहीं होता।
	(1) उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — अध्यक्ष	
	(2) सहायक निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरा –सदस्य	
	(3) सहायक निदेशक (नीति एवं समन्वय), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो —सदस्य	

[फा. सं. I-12014 / 63 / 2017—एन सी बी-II] पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2018

- **G.S.R.** 1191(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Multi Tasking Staff, (Group 'C') post, Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs, namely:-
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.—** No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Staff Selection Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff.	9*(2018) * Subject to variation dependent on the workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-01	Not applicable.	Between 18 and 25 years. Note 1 The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,

			Ladakh Division of Jammu
			and Kashmir State, Lahaul
			and Spiti Districts and Pangi
			Sub-Division of Chamba
			District of Himachal
			Pradesh, Andaman Nicobar
			Islands and the Union
			Territory of Lakshadweep.
			remory or Emisma weep.
			Note 2 In case of
			recruitment through the
			Employment Exchange, the
			crucial date for determining
			the age-limit shall be the last
			date up to which the
			Employment Exchange is
			asked to submit the names.
i e		I	

Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods
	(7)	(8)	(9)	(10)
	Matriculation or equivalent from the recognized Board.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

In case of recruitment by	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its		Circumstances in which
promotion or deputation/	composition		Union Public Service
absorption grades from which			Commission is to be
promotion or deputation or			consulted in making
absorption to be made			recruitment
(11)	(12)		(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :		Not applicable.
	(1) Deputy Director, NCB	-Chairman;	
	(2) Assistant Director(Administration), NCB	-Member;	
	(3) Assistant Director (P&C), NCB	-Member.	

[F. No. I-12014/63/2017-NCB-II]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Jt. Secy.